न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56/2020 राजस्व अपील

1. पप्पू
2. प्रकाश

पिसरान कजोडनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम भांवता तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा निर्णय दिनांक 26.02.2020 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 58/2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम पप्पू वगै. अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 06.01.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के विरूद्व पटवारी हल्का भांवता तहसील बसवा ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम भांवता में स्थित राजकीय भूमि आराजी खसरा नं. 358 रकबा 0.06 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2076 में पुख्ता मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का भांवता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को बेदखल कर शास्ति राशि आरोपित कर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई के उक्त निर्णय दिनांक 26.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को नोटिस जारी करने पर अपीलान्ट्स दिनांक 4.9.2019 को उपस्थित हुआ तथा अतिक्रमण नहीं होने बाबत् कथन किया तथा दिनांक 18.10.2019 को अपीलान्ट पप्पू के स्थान उसकी पत्नि फूली देवी ने उपस्थित होकर बताया कि अपीलान्ट्स का राजकीय भूमि पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई कब्जा नहीं है बल्कि चरागाह से लगती हुई भूमि पर मकान व बाडा बना रखे है। अपीलान्ट्स गरीब जोगी समाज के लोग है तथा आवासीय भूमि में ही अपना मकान व बाडा बनाकर निवास कर रहे है। फिर भी पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौके पर चरागाह भूमि का बिना कोई सीमाज्ञान किये तथा बिना कोई जांच कराये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को बेदखल कर शास्ति राशि आरोपित कर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई के निर्णय दिनांक 26.02.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2076 में ग्राम भांवता तहसील बसवा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.06 है. पर पुख्ता मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स अतिक्रमियों के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर नायब तहसीलदार बांदीकुई के निर्णय दिनांक 26.02.2020 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स ने ग्राम भांवता तहसील बसवा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 0.06 है. पर पुख्ता मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.02.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2019 सरकार बनाम पप्पू वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official